संख्या : 84/2016/1336/छप्पन-2016-7/13

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 20 अक्टूबर, 2016

विषय: कै0 प्रवीण किशोर, कै0 कमलेश्वर सिंह, कै0 प्रज्ञेश मिश्र तथा कै0 पंकज सिंह, पायलट (फिक्स्ड विंग) को नई तिथियों में सुपर किंग एयर बी-200 वायुयान के सेमुलेटर पर फर्नवारो, इग्लैण्ड (यू0के0) में रिकरेन्ट ट्रेनिंग कराये जाने तथा विदेश यात्रा में आने वाले व्यय रू0 9,37,520/- की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 48/ना0उ0वि0/आप्स-50/2015, दिनांक 23-8-2016 एवं पत्र संख्या : 59/ना0उ0वि0/आप्स-50/2015, दिनांक 20-9-2016 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या: 60/2016/935(2)/छप्पन-2016-7/13, दिनांक 19-8-2016 एवं शासनादेश संख्या: 61/2016/935/ छप्पन-2016-7/13, दिनांक 19-8-2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में वायुयान सुपर किंग एयर-बी-200 पर चार पायलटों (कै0 प्रवीण किशोर, कै0 कमलेश्वर सिंह, कै0 प्रज्ञेश मिश्र तथा कै0 पंकज सिंह) को फर्नवारो, इग्लैण्ड (यू0के0) में रिकरेन्ट ट्रेनिंग के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रस्तावों/बिन्दुओं पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(क) कै0 पंकज सिंह एवं कै0 कमलेश्वर सिंह द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2016 से 06 सितम्बर, 2016 के स्लाट के स्थान पर दिनांक 3 अक्टूबर, 2016 से प्रारम्भ होने वाले संशोधित स्लाट में प्रशिक्षण प्राप्त किया जायेगा।

(ख) शासनादेश संख्या: 61/2016/935(2)/ छप्पन-2016-7/13, दिनांक 19-8-2016 के प्रस्तर-1 में अंकित तालिका के तीसरे स्तम्भ में अंकित प्रशिक्षण अवधि दिनांक 26 अगस्त, 2016 से 6 अगस्त, 2016 को संशोधित कर दिनांक 26 अगस्त, 2016 से 06 सितम्बर, 2016 पढ़ा जायेगा और उक्त तालिका के क्रमांक-4 के स्तम्भ -2 में अंकित पायलट कै0 प्रवीण कुमार को संशोधित कर कै0 प्रवीण किशोर पढ़ा जायेगा।

(ग) उक्त शासनादेश संख्या: 61/2016/935(2)/ छप्पन-2016-7/13, दिनांक 19-8-2016 के द्वारा कै0 प्रवीण किशोर, कै0 कमलेश्वर सिंह, कै0 प्रज्ञेश मिश्र तथा कै0 पंकज सिंह पायलटगण को निर्माता कम्पनी की फैसिलिटी मै0 फर्नवारों, इंग्लैण्ड (यू0के0) में प्रशिक्षण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

हेतु प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रूपये 17,16,960/- (रूपये सत्रह लाख सोलह हजार नौ सौ साठ मात्र) के अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त के अतिरिक्त विदेश यात्रा पर होने वाले व्यय के रूप में रूपये 9,37,520/- (रूपये नौ लाख सैंतीस हजार पॉच सौ बीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जा रही है।

2- उक्त सीमा तक शासनादेश संख्या: 60/2016/935(2)/छप्पन-2016-7/13, दिनांक 19-8-2016 एवं शासनादेश संख्या: 61/2016/935/ छप्पन-2016-7/13, दिनांक 19-8-2016 को संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश द्वय दिनांक 19-8-2016 के शेष प्रतिबन्ध एवं शर्तें पूर्वानुसार लागू रहेंगी।

3- कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या : 84/2016/1336(1)/छप्पन-2016-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ।
5- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
8- सम्बन्धित पायलटगण।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।